राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1776 / 2021
हेमराज मीणा

–अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. अति.आयुक्त एवं संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सवाईमाधोपुर।
4. खण्ड विकास अधिकारी, पंचायत समिति, गंगापुर सिटी, जिला सवाईमाधोपुर।

प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 19.12.2023

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री विजय पाठक, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला सवाईमाधोपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.03.2021 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी जो ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, नौगांव, पंचायत समिति, गंगापुर सिटी, कार्यरत था, उसे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–340 / 2020 दिनांक 30.12.2020 पंजिबद्ध किये जाने पर निलम्बित (Deemed to have been suspended) किया गया। बहस के दौरान अपीलार्थी के अधिवक्ता कथन है कि अपीलार्थी नियमानुसार निलम्बन के आदेश के विरूद्ध अपील / अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है। अपीलार्थी के अधिवक्ता के निवेदन पर यह अपील इस स्तर पर खारिज की जाती है एवं यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी नियमानुसार अपील / अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र रहेगा।
2. प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते है कि अपीलार्थी द्वारा अपील / अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर उस पर नियमानुसार कार्यवाही कर आदेश पारित करे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)